International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक विश्लेषण

डॉ स्नेहवीर सिंह[1], डॉ कविता अग्रवाल[2]

[1]सहायक आचार्य, राजनीति शास्त्र, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडौत
[2]सहायक आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडौत

शोधपत्र का सार - आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन खुद सत्ता में आते ही स्वयं भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आजादी मिलने से आज तक लगभग 76 वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को इस विषय में पाक-साफ नहीं माना जा सकता है। अब तो देखने में यह आता है कि राजनीतिक दल ऐसे ही लोगों को चुनावी रण में उतारने का फैसला करते हैं, जो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा सकते हों। ऐसे में क्या हमे यह मान लेना होगा कि हमें भ्रष्टाचार की आदत डाल लेनी चाहिए या कुछ ऐसे उपाय किये जा सकते हैं जिनसे भ्रष्टाचार की इस दलदल को रोका जा सकता है या कम से कम इसमें कुछ कमी की जा सके? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था जो चुनाव का विश्लेषण करती है, कहती है कि संसद में पहुँचने वाले लोगों की संख्या में लगातार करोड़पतियों की संख्या बढती जा रही है। इसलिए अत्यंत महंगे होते चुनाव भी राजनीतिक व्यवस्था को भ्रष्ट करने का काम करते हैं। इसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। भ्रष्टाचार को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को हम पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री पी.एन.भगवती द्वारा 26 नवम्बर 1985 को विधि दिवस पर एक भाषण में कहे गये इन शब्दों से समझ सकते हैं "मुझे यह देखकर बहुत ही पीड़ा हुई है कि न्यायिक प्रणाली करीब-करीब ढहने के कगार पर है। यें बहुत ही कठोर शब्द हैं जो मै इस्तेमाल कर रहा हूँ ,लेकिन बहुत ही व्यथित होकर मैंने ऐसा कहा है।"

शोधपत्र का उद्देश्य - हमारे इस शोधपत्र का उद्देश्य यह जानना ही है कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से राजनीति में भ्रष्टाचार इतने व्यापक रूप में फैल गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की

इस विकृति को खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। राजनीति में चुनाव के खर्च को कम करके या उसका स्वरूप बदलकर हम राजनीति के भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं?

मुख्य शब्द - भ्रष्टाचार, राजनीति, चुनाव, विकृति, भारत

प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारत के सम्मुख कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनमें एक प्रमुख है, भ्रष्टाचार। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि भ्रष्टाचार देश की बौद्धिक बहस का हिस्सा बना रहता है, लेकिन चुनाव का मुद्दा अब बन नहीं पाता है। हालाँकि यह नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं हो। 1974 का बिहार आंदोलन, जो बाद में आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में बदल गया,गुजरात में छात्रावासों में बढती फीस और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही शुरू हुआ था। बोफोर्स तोप घोटाले के विरोध में शुरू हुई मुहीम ने आगे चलकर सरकार को ही बदल दिया। वीपी सिंह के नेतृत्व में हुए चुनाव का मुख्य मुद्दा राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार ही रहा था। लेकिन धीरे-धीरे भ्रष्टाचार चुनावी एजेंडे से बाहर चला गया। इसकी एक वजह संभवत: यह हुई कि अगड़ी जातियों की राजनीति के खिलाफ पिछड़ी जाति की राजनीति का दौर शुरू हुआ और फिर उसके जवाब में राम मंदिर आंदोलन और जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजनीति के केंद्र में आ गया। अब हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा।

राजनीति के क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक अति गंभीर मामला है। हालाँकि यह माना जा सकता है कि कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार तो हमेशा से ही रहा है और रहेगा रहेगा भी, उसे पूरी तरह से समाप्त नही किया जा सकता है। भारत में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि "जिस प्रकार शहद या जहर का स्वाद न लेना असंभव है जो जीभ की नोक पर आता है, उसी प्रकार एक मंत्री या सरकारी कर्मचारी के लिए इसे न खाना भी असंभव है।" कम से कम सरकारी राजस्व का कुछ हिस्सा।" सवाल वहाँ उठता है, जहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरह अनियंत्रित हो जाता है,उस पर कोई लगाम नहीं होती और उससे पूरा समाज, व्यवस्था,न्याय तक प्रभावित होने लगते हैं। सवाल उठता है कि अगर पूरी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार के आगोश में डूब जाए तो सरकार, न्यायालय आदि संस्थाएं आखिर आम आदमी के किस काम की हैं? भ्रष्टाचार तब केन्द्रीय समस्या बनता है, जब उसके कारण एक सामान्य नागरिक के लिए सामान्य ढंग से ईमानदारी का जीवन जीना असंभव हो जाता है। जब भ्रष्टाचार रोजमर्रा के कामों को भी प्रभावित करने लगता है, तब भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए कठोर उपाय करने पड़ते है। तब तो और भी , जब यह आशंका होने लगती है कि विधायिका, कार्यपालिका और नौकरशाही भ्रष्टाचार से प्रभावित होकर नहीं बल्कि उसमे डूबकर काम करने लगते हैं, तब हालातों की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है।

इससे लगता है कि मानो न्यायचक्र का भी घूमना बन्द हो गया है और वह भी भ्रष्टाचार की इस दलदल से खुद को नहीं बचा पाए हैं। इस अवस्था में कोई आदमी ईमानदारी से अपना काम करता है, तो उसकी हालत दयनीय हो जाती है। पूरा तंत्र उसके खिलाफ हो जाता है।

लेकिन फिर भी इस पर अंकुश लगाने के लिए नये नये नियम बनाये जाते रहे हैं। बल्कि सही कहा जाए तो हिंसा और भ्रष्टाचार को नियंत्रित रखने के लिए ही तो राज्य व्यवस्था बनी हुई है

ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल (TI) के अनुसार, एशियायी देशों में भ्रष्टाचार की रैंकिंग में भारत (180 में से 85 देशों में) सबसे ऊपरी पायदान पर है। हालांकि, सन 2013 में भारत की रैंकिंग 93 थी, उसकी तुलना में आज की रैंकिंग कुछ बेहतर है। भारत को इस विकृत प्रचलन से मुक्ति पाने के लिए अब भी काफी लम्बे फासले तय करने बाकी हैं। व्यापाक एशियाई क्षेत्र में किए गए टीआई सर्वे के अनुसार, भारत में नागरिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, पुलिस, राजस्व विभाग, और अस्पताल आदि सबसे भ्रष्ट विभाग हैं।

भ्रष्टाचार की पहली शिकायत गाँधी जी की प्रार्थना सभा में वेंकटपैय्या गुरु के पत्र के रूप में आई थी। जिसे गाँधी जी ने राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद के पास भेज दिया था। मूंदरा भ्रष्टाचार मामले (1963) और इससे पहले सामने आ चुके जीप घोटाला[1948] के बाद, नेहरू सरकार ने एक गंभीर प्रयास के तहत संथानम कमेटी की स्थापना की थी। संथानम कमेटी ने राज्य में लाल फीताशाही और प्रशासनिक नियंत्रण के अलावा, भ्रष्टाचार के प्रमुख स्रोतों को बहुत बारीक़ी से जांचा-परखा। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही 1971 में सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की, जो प्रमुख संस्थानों के पब्लिक फाइनैन्स की ऑडिट कर सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। लेकिन इससे भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि घोटालों की एक लम्बी फेरहिस्त सामने आई जो, कैरों घोटाला[1963], बोफोर्स घोटाला[1987], टेलीकाम घोटाला[1996], चारा घोटाला[1996], यूरिया घोटाला[1996], ताबूत घोटाला[1999], यू.टी.आई. घोटाला[2001], ताज गलियारा घोटाला[2002], स्टाम्प घोटाला[2003], सत्यम घोटाला[2008], टू जी.स्पेक्ट्रम घोटाला[2009], आदर्श सोसाइटी मामला[2010], कॉमनवेल्थ घोटाला[2010], आदि भ्रष्टाचार के वो गंभीर मामले हैं जो एक दौर में लोगों की जुबान पर रहे और फिर धीरे-धीरे विस्मृत होते चले गए।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें ब्रिटिश राज से ही से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से भारतीयों को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से बाहर कर रखा था। अंग्रेजों द्वारा बनाये गये ऑफिशियल "सीक्रेट ऐक्ट,1923 अधिनियम" ने किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा राजकीय सूचना या संदेश को जगजाहिर करना कानूनन अपराध घोषित किया था। इस कार्यवाही ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस भ्रष्टाचारी/रिश्वतखोरी की संस्कृति को जीवित बनाए

रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने आजादी के बाद लाइसेन्स राज नाम की विकृति को पैदा किया, जिसने अंततः रिश्वतखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने और सरकार या किसी व्यापारी से सेवा खरीदने के बदले में कोई सुविधा या धन प्राप्त करने की गतिविधि को प्रोत्साहित किया।

इसके अतिरिक्त 1991 मे शुरू हुई आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीति भारत की इस भ्रष्टाचार की संस्कृति के लिये टर्निंग प्वाइंट ही साबित हुआ। एक तरफ इन सुधारों ने औद्योगिक गतिविधियों की लाइसेन्सिंग और कोटा प्रणाली का अंत किया, जिसके चलते, कई भ्रष्ट तौर तरीकों के हटाए जाने के बावजूद, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक सुधार और ज़्यादा उत्पादन ने भ्रष्टाचार की संभावनाओं के दरवाज़े को और ज्यादा खोल दिया। एक तरफ जहां आर्थिक उदारीकरण ने विशेष कर लाइसेन्स पर्मिट राज से संबंधित, पुराने तरीकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया, वहीं अन्य रूप में वह बदस्तूर जारी रहा। हम यही कह सकते हैं कि, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लागू किए जाने के बावजूद, सत्ता का दुरूपयोग एवं रिश्वतखोरी बदस्तूर जारी है।

लगता है कि अब तो पूरी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है। अन्ना आन्दोलन में तो भ्रष्टाचार के विरोध में लगभग पूरा देश एकजुट होकर सड़कों पर निकल आया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने खुद स्वीकार किया था कि दिल्ली से अगर 100 पैसे गाँव के लिए चलते हैं तो वहां तक केवल 15 पैसे ही पहुँच पा रहे हैं, जबकि 85 पैसे भ्रष्टाचार के रूप में रास्ते में ही खा लिए जाते हैं। राजीव गाँधी का यह वक्तव्य भ्रष्टाचार की गंभीरता को दर्शाता है। आजादी के बाद से शुरू होने वाली इस लिस्ट के अधिकाँश घोटालों को हम लोग भूल चुके है। ग्लोबल एंटी करप्शन डे पर जारी ग्लोबल बैरोमीटर के आधार पर भारत दुनिया का 9 वां भ्रष्टतम देश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सबसे ईमानदार देशों की सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड पहले पायदान पर हैं। इसके बाद फिनलैंड, स्वीडन और नार्वे का नंबर है। इंग्लैंड चौदहवें नंबर पर तो अमेरिका उन्नीसवें नंबर पर है। भारत का नंबर चौरानबेवां है। चीन भी भारत से आगे, अस्सीवें नंबर पर है। 2007 के बाद से भारत अब तक बाईस पायदान नीचे फिसल चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को वर्ष 2021 के लिए 85वां स्थान दिया गया है।

राजनीति में भ्रष्टाचार पर बात करने से पहले हमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर विचार करना होगा। जो लोग ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, उनके सामने यक्ष प्रश्न यह है कि राजनीति का खर्च कहाँ से आयेगा? राजनीति का खर्च बहुत बड़ा होता है, राजनेताओं यानी राजनैतिक कार्यकर्ताओं का अपना खर्च है, उनके परिवार का खर्च है, संगठन का खर्च है, चुनाव और आन्दोलनों का खर्च है। यह कल्पना बिलकुल गलत है कि अच्छे काम के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। राजनीति का अनुभव है कि बुरे काम के लिए पैसे मिल जाते हैं। अच्छी राजनीति के लिए जितना पैसा जनसाधारण से मिलता है, उतने

से काम नहीं चलता है। अत: राजनीति के लिए कहाँ से पैसा आयेगा ,यह जनतंत्र का एक जटिल प्रश्न है और इसका एक सांविधानिक उत्तर होना चाहिए। अगर संविधान इसका उत्तर नहीं देगा, तो सारे के सारे राजनेता या तो पूँजीपतियों पर आश्रित होंगे या उनसे मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ायेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म नामक गैर सरकारी संगठन के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा 2013 के चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल उन्हें मिले कुल चंदे का केवल 25% आंकड़ा ही दे पाए है, जिसमे 87% बड़े औद्योगिक घरानों से प्राप्त दिखाया गया है। ऐसे में ये राजनीतिक दल आम आदमी के लिए काम करेंगे या फिर पूंजीपतियों के गलत ,सही कामो के लिए अपना समय देंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्यकर्ता का अपनी जीविका के लिए दल पर आश्रित रहना भी अच्छी बात नहीं है। कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार रहेगा ही, यह माना जा सकता है। लेकिन अगर घोटालों की बाढ़ ही आ जाए तो स्थिति की गंभीरता का पता चलता है।

राजनीति वह क्षेत्र है जो पूरे देश और समाज को दिशा देने का काम करता है। जहाँ पहले राजनीति को सेवा के रूप में लेकर काम किया जाता था, वहीँ अब उसे ताक़त, सत्ता और ऐशो आराम का माध्यम बना लिया गया है। अब व्यक्ति सेवा करने के लिए राजनीति में नही आते, बल्कि बहुत जल्दी अमीर होने के लिए आते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी आया है कि पहले जहाँ भ्रष्ट व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता था, वहीँ अब समाज में सम्मान का एक महत्वपूर्ण मानक केवल और केवल धन हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति किसी भी तरीके से केवल धनवान बनना चाहता है। इतना तो निश्चित ही है कि अगर भ्रष्टाचार में डूबी इस व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी स्तरों पर प्रयास शुरू करना होगा। और यह काम केवल बयानबाजी और भाषणबाजी से नही हो सकता है बल्कि इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। वो कारण और परिस्थितियां ही समाप्त करनी होंगी, जिनकी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार के लिए देश में व्याप्त गरीबी, असमानता, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव आदि भी जिम्मेदार है। उदारीकरण के इस दौर में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं भी निजी क्षेत्र में धकेल दी गई हैं और आम आदमी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअन्दाज करके इस समस्या से निपटना असंभव है।

राजनीतिक क्षेत्र पर बात की जाए तो वर्तमान समय में किसी भी आम आदमी के लिए चुनाव में प्रतिभागी होना आसान काम नही है। राजनीति में पूंजीपतियों और पूंजी का बढ़ता प्रभाव,लगातार महंगे होते चुनाव, समाज और राजनीति में अपराधियों का बढ़ता दखल, राजनीति क्षेत्र में वंशवाद, नैतिकता का पतन, मुद्दाविहीन राजनीति, राजनीतिज्ञों में वैचारिकता का अभाव, पारदर्शिता का अभाव और जनता के

प्रति जवाबदेहीं का अभाव आदि अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं, जिन्हें दूर किये बिना राजनीति के पवित्र क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त नही किया जा सकता।

सच यह है कि कोई भी पार्टी उदारीकरण को राजनीतिक प्रश्न बनाने की हिम्मत नही करती है। प्रत्येक राजनीतिक दल विकास की बात तो करता है लेकिन उस विकास की कीमत कौन चुकाएगा यह नही बताता। राजनीतिक समझ यह भी है कि उदारीकरण और भ्रष्टाचार का बहुत गहरा रिश्ता है, जिसे हम अनदेखा करते हैं। उदारीकरण भ्रष्टाचार को शुरु नहीं करता है, लेकिन जब उदारीकरण के द्वारा समाज के सारे अच्छे पक्षों को कमजोर कर दिया जाता है तब भ्रष्टाचार न सिर्फ बढ़ता है बल्कि नियंत्रण के बाहर ही हो जाता है। भारत में उदारीकरण का यह चरण आ चुका है, जब अधिकांश नागरिकों के जीवन में भविष्य की अनिश्चितता आ जाती है, चन्द लोगों के लिए धनवृद्धि और खर्चवृद्धि की सीमा नहीं रह जाती, वर्गों और समूहों के बीच गैर बराबरियाँ निरन्तर बढ़ती जाती हैं, तब भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? उदारीकरण के दौर में व्यवस्था आम नागरिक को भगवान भरोसे छोड़ देती है। इस व्यवस्था में सामाजिकता, नैतिकता और मूल्यों की जगह धन ले लेता है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी सुरक्षा केवल धन में देखता है, चाहे फिर वह किसी भी तरीके से कमाया जाए।

इससे अहम बात यह कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी संवेदना लगातार भोथरी होती गई है। ईमानदारी को अब एक अनजान वस्तु, जुनून या कोरा आदर्श माना जाने लगा है। ऊपरी कमाई एक सामाजिक स्टेटस। हम बेटी या बहन के लिए वर ढूंढ़ने निकलते हैं तो कभी यह सवाल हमारे जेहन में नहीं उठता कि होने वाला वर ईमानदार है या नहीं। उलटे ऊपरी कमाई की संभावना से बेटी का बाप आश्वस्त होता है, बेटी खाते-पीते घर में जा रही है। भ्रष्टाचार चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन अब उस चिंता में संजीदगी नजर नहीं आती। जो भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, उनके लिए भी भ्रष्टाचार कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं, क्योंकि अवसर मिलने पर वे खुद भी भ्रष्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनाक्रोश होना चाहिए, वह कहीं दिखाई नहीं देता। भ्रष्टाचार सर्वव्यापी और सर्वग्रासी बनता जा रहा है और एक कृत्रिम किस्म की लड़ाई उसके खिलाफ चलती रहती है। कभी सूचना के अधिकार के रूप में, कभी लोकपाल विधेयक के रूप में।

इन भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य-स्तरीय स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की गई। 1966 में, प्रथम लोकयुक्त की नियुक्ति की गई। इसका अनुसरण करते हुए, कई भारतीय राज्यों ने भी अपने यहाँ खुद के लोकायुक्त नियुक्त किए। लोकायुक्त का एक उल्लेखनीय उदाहरण, कर्नाटक का मामला रहा है। साल 2011 में, कर्नाटक के लोकयुक्त ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस.येदुरप्पा पर अवैध उत्खनन के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने संबंधी मुकद्दमे दायर किये। जिसके बाद उन्हें मजबूरन मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इसे हास्यस्पद और विडंबना पूर्ण ही माना जाएगा कि, काफी बड़ी

बड़ी बातों के साथ शुरू किया गया ये संस्थान, देश में होने वाले बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ़ की लड़ाई में अब तक फ़िलहाल अदृश्य ही रहा है।

एक चीज़ जिसने इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को सबसे ज़्यादा हवा दी है, वो है वर्ष 2005 में पारित किया गया सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम। इसके अनुसार, सरकारी अधिकारियों को सरकारी गतिविधि संबंधी मांगी गई हर प्रकार की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करना कानूनन आवश्यक है। ये आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ़ एक कारगर हथियार के रूप में उभर कर सामने आया है। उदाहरण के लिए, 2008 में दो ऐक्टिविस्ट, सिमप्रीत सिंह और योगाचार्य आनंद द्वारा दायर की गए दो आरटीआई आवेदन की वजह से 1999 के कारगिल युद्ध के पीड़ितों और जीवित बचे लोगों के लिए निर्मित आदर्श हाउसिंग के आवंटन में हुआ घोटाला, आम नागरिकों की जानकारी में आ पाया। उसी तरह से, आरटीआई आवेदन की मदद से ही कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ घोटाला उजागर हो पाया। हाल के वर्षों में, वर्तमान सरकार ने, प्रशासनिक बदलाव एवं संविधान में सुधार/फेरबदल की मदद से, न केवल चीफ़ इनफार्मेशन कमिश्नर (CIC) के अधिकारों को कम किया है बल्कि आरटीआई आवेदन की संभावनाओं को भी सीमित कर दिया है जिससे सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की कमजोर इच्छाशक्ति को समझा जा सकता है।

भ्रष्टाचार पर काबू पाने का कोई मुकम्मल तरीका तो नजर नहीं आता, लेकिन इस दिशा में हम कुछ एहतियाती कदम उठा सकते हैं। लेकिन पहले इस बात को दिमाग से साफ कर लेना चाहिए कि कानून बना कर इस भ्रष्टाचार पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। क्योंकि क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित होने पर भी दहेज़ लेना और देना, रिश्वत लेना और देना बदस्तूर जारी है। पुलिस है, प्रशासन है, संविधान है, कोर्ट-कचहरी है। तरह-तरह की जांच एजेंसियां हैं। फिर भी भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं।

निष्कर्ष -

निष्कर्ष रूप में कहा जाए, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसी एक तरीके से नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीकों से कोशिश की जानी आवश्यक हैं। जहाँ कठोर कानूनों का निर्माण किया जाए, वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच बढती असमानता की गहरी खाई भी को कम किया जाए। गलत तरीकों से कमाए गए धन के लिए कठोर सजा के साथ-साथ उसकी वसूली भी की जाए। धन के आधार पर लोगों का सम्मान बंद किया जाए। चुनाव में वोट डालने जाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि भ्रष्ट व्यक्ति चाहे हमारा कितना भी नजदीकी हो, वह काम केवल खुद के लिए ही करता है। देश को अगर प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो ईमानदार लोगों को हो चुनाव में वोट करें ,इस कदम से हर राजनीतिक दल ईमानदार व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। 2011 में अन्ना हज़ारे द्वार चलाए गये भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में, जिसमें उन्होंने लोकपाल या प्रशासनिक शिकायत जांच

अधिकारी की नियुक्ति की मांग की थी, संयुक्त विकासशील गठबंधन सरकार ने 2013 में बड़े भ्रष्टाचारों से निपटने के लिए लोकपाल बिल को संसद में पारित किया। इस प्रकार के प्रावधानों को मजबूती से लागू किया जाये।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उपरोक्त सभी प्रयास आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निदान व्यक्ति का संस्कार ही है। अगर हम अपने नागरिकों को ईमानदारी, नैतिकता नही सिखा पाते हैं तो भ्रष्टाचार को केवल कठोर कानून बना लेने भर से नही रोका जा सकता। भ्रष्ट लोगों को नजरअंदाज और ईमानदार लोगों को सम्मान देना, जितनी जल्दी हो शुरू करना होगा। राजनीतिक क्षेत्र को भ्रष्टाचार नामक विकृति से दूर रखने के लिए जो आवश्यक कार्य किये जाने की जरुरत है उन्हें संक्षेप में इस

प्रकार समझा जा सकता है -

1 - मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों का चुनावी खर्चा सरकार वहन करे।

2 - गोपन कानून को संशोधित किया जाए, क्योंकि जितने पर्दे कम होंगे, पाप भी उतने ही कम होंगे।

3 - शक्तियों का विकेद्रीकरण हो। शक्तियों के विकेन्द्रीकरण से चीजें सबके सामने खुली हो जाएँगी और भ्रष्टाचार करना आसान नहीं होगा।

4 - रचनात्मक जवाबदेही से युक्त राजनीतिक लोकाचार स्थापित हो। इसके तहत कोई अफसर या राजनेता यह कह कर नहीं बच सकता कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि उसके रहते चोरी हुई। यही उसे गैर जिम्मेदार साबित करने के लिए पर्याप्त है।

5 - राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए एक गैर-राजनीतिक 'पीपुल्स प्लेटफॉर्म' (जन-परिषद्) बने, जो स्थायी विपक्ष की भूमिका अदा करता रहे ।

6 - आरटीआई जैसे कानूनों को और अधिक मजबूत किया जाए।

7 - अच्छे चरित्र के लोगों को राजनीति में प्राथमिकता प्रदान की जाए। ना केवल राजनीति बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी साक्षात्कार आदि में व्यक्ति को उसके इमानदार चरित्र के लिए अलग से प्राथमिकता दी जाए।

8 - शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए

9 - स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी की जाए, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए।

10 - सिटीजन चार्टर जैसी व्यवस्था हर क्षेत्र में लागू की जाए।

सन्दर्भसूची

1. अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति- निर्मल कुमार सिंह ,वाणी प्रकाशन नई दिल्ली ,सन-२०००
2. कौन लडेगा भ्रष्टाचार से – आनंद प्रधान ,जनसत्ता - 27 सितम्बर 2010
3. भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना – जनसत्ता,मस्तराम कपूर -19 मई 2011
4. भ्रष्टाचार का घुन – अजय महरा –जनसत्ता,15 फ़रवरी 2011
5. इन ख़ुलासो के मायने – अनिल चमडिया –जनसत्ता,2 अप्रैल 2011
6. भ्रष्टाचार की जासूसी - नीरज कुमार- जनसत्ता, 11 जनवरी 2014
7. कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार - विनोद कुमार, जनसत्ता | Posted: November 13, 2014
8. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467300
9. https://www.orfonline.org/hindi/research/indias-fight-against-corruption-a-long-battle/
10. भूमंडलीकरण (ब्रांड संस्कृति और राष्ट्र) – प्रभा खेतान – सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली,110002 – 2014
11. भ्रष्टाचार की चुनौती – राजकिशोर (सम्पादक) - वाणी प्रकाशन नई दिल्ली – 2009
12. भारतीय गणतन्त्र चुनौतियां और समाधान – सीताराम येचुरी - सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली,110002 – 2014
13. भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि (गतिरोध, सम्भावना और चुनौतियाँ) – किशन पटनायक -– राजकमल पेपरबैक्स,नई दिल्ली -2010